कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 8478 दिनांकः 21/09/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या **48(II)** "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जायेंगे" के कियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित बजट में उप वन संरक्षक,उदयपुर के पत्र कमांक 7217 दिनांक 12.09.2023 से प्राप्त प्रस्तावनुसार वर्ष 2022–23 में स्थापित लव कुश वाटिका में पक्षी घर हेतु आवंटित राशि प्रत्याहरित कर उप वन संरक्षक,उदयपुर(उत्तर) को निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व मेंआवंटित बजट (राशि रू. लाखो में)	संशोधित बजट आवंटन (राशि रू. लाखो में)	स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर का स्थान
4406–02–111–02–00–16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	**87.00**	**0.00**	
4406–02–111–02–00–16 लघु निर्माण कार्य		उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	**0.00**	**87.00**	**वर्ष 2023–24 में स्थापित लव कुश वाटिका**

उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा –निदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 8479–86 दिनांकः 21-09-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक,उदयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, उदयपुर/उदयपुर(उत्तर)।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर